भारत में भुखमरी एवं खाद्य–सुरक्षा योजनाएं : एक विश्लेषण

प्राप्तिः 07.06.2026
स्वीकृतः 19.06.2026

56

राजेश कुमार प्रजापति
शोधछात्र (समाजशास्त्र विभाग)
मानविकी एवं समाज विज्ञान संकाय
श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय,
लखनऊ–देवा रोड, बाराबंकी, उ0प्र0
ईमेलः *rajeshprajapati2amethi@gmail.com*

अनिल कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
मानविकी एवं समाज विज्ञान संकाय
श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय,
लखनऊ–देवा रोड, बाराबंकी, उ0प्र0
ईमेलः *anil.aina@gmail.com*

सारांश

भारतीय समाज में गरीबी, भुखमरी एवं कुपोषण एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, जिसका प्रभाव समाजिक गतिशीलता, सतत् विकास की प्रक्रिया एवं पर्यावरण संरक्षण पर पड़ता है। भारतीय जनमानस में जनाधिक्य को भुखमरी, गरीबी आदि समस्याओं के कारक के रूप में देखा जाता है, किन्तु इसे मानव संसाधन के रूप में कुशल बनाना होगा। सन् 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने पोषण को अधिकार की श्रेणी में ला दिया है। जन वितरण प्रणाली सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अलग–अलग परिणाम दिखाई देते, जिससे अधिकांश लोग खुश हैं। फिर भी भारत के भुखमरी एवं कुपोषण सम्बन्धी आंकड़े इस ओर संकेत दे रहे हैं, कि सरकार एवं समुदाय दोनों के साझा प्रयास के बिना हम इस समस्या से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

मुख्य शब्द

अकाल, कुपोषण, जन वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।

प्रस्तावना

दुनिया के अन्य देशों के साथ–साथ हमारा भारत भी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित हो रहा है। इसका सबसे अधिक खतरा जल, जंगल एवं जमीन पर आश्रित सभी मानव समुदायों, पशु–पक्षियों, पेड़–पौधों पर देखा गया है। यह खतरे हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वर्ष 2024 का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2024 को मनाया गया, जिसमें हमें खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित अप्रत्याशित जोखिमों/घटनाओं के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गयी थी, चाहे वह घटनायें कितनी भी हल्की या गंभीर क्यों न हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा की घटनाएँ ऐसी स्थितियाँ हैं, जहाँ भोजन की खपत से संभावित या पुष्ट स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा होता है। खाद्य सुरक्षा संकट के मुख्य कारण प्राकृतिक अथवा

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.056

मानव जनित दुर्घटनाएं, खाद्य पदार्थों (के उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति एवं बिक्री) पर अपर्याप्त नियंत्रणों, खाद्य धोखाधड़ी (मिलावट, हानिकारक तत्वों की जानकारी न देना) आदि हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा घटनाओं के प्रबंधन के लिए तैयार रहने के लिए नीति निर्माताओं, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, किसानों और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के समर्पित साझा प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें उपभोक्ता भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024)। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवियों या रासायनिक पदार्थों से दूषित असुरक्षित भोजन के कारण प्रतिदिन दिन औसतन 16 लाख लोग बीमार पड़ते हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं भुखमरी पर समाज में अनेक विचार मौजूद हैं, जिस पर सन् 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा को वर्णित करना समीचीन होगा– 'खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुँच होती है जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है।' इस परिभाषा के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के तीन मुख्य आयाम हैं– खाद्य उपलब्धता, भोजन तक पहुँच और भोजन का अवशोषण। जलवायु–प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता और कृषि उत्पादन, आजीविका और पोषण पर उनके दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए, आपदा राहत के प्रति ऐसा अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपर्याप्त ही साबित होगा। सरकार को आपदा राहत के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बाल पोषण पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक कुपोषण निवारण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। कृषि में जोखिम को कम करने की दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसी योजनाओं को विशेष रूप से छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए (चक्रबर्ती, 2016)।

1 अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में भुखमरी से सम्बन्धित समस्याओं एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है।

2 अध्ययन पद्वति

प्रस्तुत शोध की शोध प्ररचना अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के ग्रामीण परिवारों के साथ किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को यथा–स्थान उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में अर्ध–सहभागी अवलोकन एवं केस– अध्ययन विधि को अपनाया गया है।

भुखमरी पर सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

वर्तमान अध्ययन विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत आने वाले पोषण के समाजशास्त्र जैसे अंतःविषयक क्षेत्र में आता है। पोषण एवं खाद्य सुरक्षा मानव समाज की प्रथम मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए अनेक समाजशास्त्रियों, समाजवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिये हैं। विलियम जी. समनर (1907), जॉर्ज हर्बर्ट मीड (1938), ब्रोनिस्लॉ मालिनॉस्की (1936; 1944), मार्सेल माउस (1973), पियरे बौर्डियू (1979/84) और कई अन्य लोगों द्वारा इस पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं (कुमार, 2018,

2022)। भोजन, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं में घिरे लोगों के सांस्कृतिक विश्व–दृष्टिकोण के कारण एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है।

डब्ल्यू. जी. समनर (1907) के अनुसार, चार सार्वभौमिक आवश्यकताओं (भूख, प्रेम, घमंड, भय) को संतुष्ट करने के लिए, मानव समाजों ने अलग–अलग साधन या 'लोकरीतियाँ' विकसित की हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ऐसी परिस्थितियाँ (भूख, प्रेम, घमंड और भय) आदतों, लोकरीतियाँ, रीति–रिवाजों, परम्पराओं और संस्थाओं के मार्ग का उपयोग करके आवश्यकताओं और विचारों का निर्माण करती हैं (समनर 1907)। समनर के आवश्यकता सिद्धांत को किसी तरह ब्रोनिस्लॉ मालिनॉस्की (1936; 1944/60) द्वारा दिए गए सांस्कृतिक निर्धारक सिद्धांत का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने बताया कि भोजन सहित मानव जीव की सभी (सात) मूलभूत आवश्यकताएं, जिनकी प्रतिक्रिया/संतुष्टि सांस्कृतिक संदर्भ में संगठित गतिविधियों की प्रणालियों द्वारा की जाती है। ऐसी आवश्यकताएं मानव जीवन की जन्मजात प्रेरणाएं नहीं हैं, अपितु इन जन्मजात आवेगों के प्रति सांस्कृतिक प्रतिक्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं।

जॉर्ज हर्बर्ट मीड (1938) के अनुसार, भूख दो कारकों के संयोजन से उत्पन्न हो सकती है, अर्थात् कर्ता (समाज में मानव) की आंतरिक स्थिति और/या पर्यावरण में भोजन की उपलब्धता कारण। भूखे व्यक्ति को सामाजिक परिवेश में अपनी तात्कालिक इच्छा की पूर्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य खोजना होता है। अपर्याप्त या तत्काल भोजन की कमी के कारण इस आवेग (भूख) की पूर्ति न होने पर, पर्यावरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसका समाधान कर्ता को स्वयं करना होता है (मीड 1938/1972; रिट्ज़र 2011)।

भोजन न केवल भूखे पेट को तृप्त करता है, बल्कि लोगों को स्वाद का एहसास भी कराता है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बौर्डियू (1979/84) के विचारों के अनुसार, 'स्वाद के समाजशास्त्र' पर सबसे प्रभावशाली विचारकों ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक– डिस्टिंक्शन : अ सोशल क्रिटीक ऑफ द जजमेण्ट ऑफ टेस्ट' में 1,217 व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके विश्लेषण किया। उन्होंने तर्क दिया कि स्वाद की अभिव्यक्तियाँ ज्यादातर व्यक्ति के सामाजिक मूल, उसके वर्ग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि द्वारा निर्धारित होती हैं (स्टीवर्ट 2013)। स्वाद की अभिव्यक्तियाँ सामाजिक शक्ति या शक्तिहीनता और सामाजिक असमानताओं को भी व्यक्त करती हैं, जिन्हें समाज में प्रचलित सांस्कृतिक भेद द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाए रखा जाता है (स्टीवर्ट 2013)।

मार्सेल माउस (1973) ने प्रशिक्षण, अनुकरण और विशेष रूप से उन मूलभूत फैशन के तरीकों का विश्लेषण किया, जिन्हें जीवन की प्रणाली कहा जा सकता है। वह प्रणाली– स्वर का लहजा पदार्थ, शिष्टाचार, व पथ हैं। जीवन की ऐसी प्रणालियाँ विशिष्ट संस्कृति द्वारा निर्धारित होती हैं। मानव जीवन में खान–पान सम्बन्धी कुछ हाव–भाव न तो शरीर क्रिया विज्ञान से प्रेरित होते हैं और न ही मनोविज्ञान से; यह परंपरागत होते हैं जो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं।

भुखमरी को विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं–

1 संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टि में भुखमरी

इस दृष्टिकोण से भुखमरी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न कार्यों की विफलता का परिणाम है। भुखमरी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है अपितु एक सामाजिक समस्या है, जिससे निपटने हेतु परिवार, समुदाय एवं सरकारी तंत्र की सम्मिलित जिम्मेदारी है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.056

2 संघर्षवादी दृष्टिकोण में भुखमरी

इस दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि औद्योगिक समाज में श्रमिकों की दयनीय परिस्थितियों का कारण गरीबी, खराब जीवन–स्थितियाँ और अपर्याप्त भोजन है, जो असमान वितरण प्रणाली की देन हैं, न कि व्यक्तिगत असफलता की। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक गरीबी और अकाल (1981) में, भुखमरी और अकाल के कारणों पर उन पुरातन विचारों को मौलिक रूप से बदल दिया, जिनमें माना जाता था कि अकाल विभिन्न कारणों– यथा जलवायु परिस्थितियों में नाटकीय बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन और अधिक जनसंख्या के कारण खाद्य उपलब्धता में कमी आदि से आते हैं। उन्होने 'खाद्य उपलब्धता में कमी' से सम्बन्धित अवधारणा का सशक्त खंडन किया और कहा कि भुखमरी और अकाल तब भी होते हैं, जब किसी देश या क्षेत्र में भोजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अकाल के एक अध्ययन के आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि अकाल का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति में कमी नहीं, बल्कि मांग में कमी या 'अधिकार का पतन' है (सेन, 1981, बानिक, 2007)। अध्ययन की यह अर्न्तदृष्टि भुखमरी और अकाल से निपटने में लोकतंत्र और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका पर प्रश्न खड़ा करती है।

3 सामाजिक बहिष्करण दृष्टिकोण में भुखमरी

इस अवधारणा के अनुसार कुछ व्यक्ति या समूह समाज में उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधनों तथा सेवाओं के अवसरों से वंचित कर दिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार भुखमरी समाज के कुछ वर्गों के व्यवस्थित बहिष्करण का परिणाम है।

भारत में भुखमरी समाप्ति के प्रयास

भारत में दुनिया के विभिन्न देशों की भांति गरीबी, भुखमरी एवं इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के प्रयास लगातार जारी हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1 संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयास

महेन्द्र पाण्डा ने अपने अध्ययन में खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक समझ बढ़ाने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–47 नागरिकों के पोषण स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता को सबसे सीधे तौर पर मान्यता देता है, जिसमें कहा गया है कि– 'राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा'। संविधान के अनुच्छेद–39 में 'राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत' निर्दिष्ट किए गए हैं और उनमें से सबसे पहला सिद्धांत कहता है कि राज्य को अपनी नीति को इस तरह निर्देशित करना चाहिए कि 'नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार' प्राप्त हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि 'राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्य को आजीविका हेतु मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य स्थितियां और अवकाश का पूर्ण आनंद और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा'। अनुच्छेद 48 एक अन्य निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि 'राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा'। ये सभी संवैधानिक

प्रावधान खाद्य और पोषण सुरक्षा की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य आयामों से संबंधित हैं (पाण्डा 2024)। इन संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम निम्नलिखित रूप में परिलक्षित होते हैं–

क. हरित क्रान्ति (1968) : भारत में सबकी भूख मिटाने हेतु सन् 1968 हरित क्रांति शुरू की गयी, जिसमें सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और ट्रैक्टरों के उपयोग के साथ **उच्च उपज वाली किस्म** (एच0वाई0वी0) के बीजों का उपयोग शामिल था। अनुसंधान और विस्तार सेवाओं द्वारा समर्थित, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में नवीन और जोखिम लेने वाले किसान नई तकनीक को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे जिसने खाद्य उत्पादन प्रणाली को बदल दिया। गेहूं में उच्च उपज वाली किस्म का प्रयोग विशेष रूप से इसकी उत्पादकता बढ़ाने में एक बड़ी सफलता थी। कुछ राज्यों में पहले किए गए जोतों के समेकन जैसे संस्थागत परिवर्तनों ने नई तकनीक के उपयोग के लिए सही माहौल प्रदान किया।

ख. श्वेत क्रान्ति : भारत में 'श्वेत क्रांति' अथवा 'ऑपरेशन फ्लड' की शुरूआत डॉ. वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में डेयरी विकास कार्यक्रम के रूप में 13 जनवरी 1970 में हुई थी। डेयरी विकास के क्षेत्र में यह दुनिया की सबसे बड़ी पहल थी, जिसका उद्देश्य डेयरी किसानों को अपने विकास की दिशा खुद तय करने तथा उत्पादो एवं संसाधनों पर स्वयं के नियंत्रण की रणनीतिक योजना और सामुदायिक सहयोग से सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था (आई.बी.एफ.ई. 2024)।

2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) 2013

भारत के संसद द्वारा पारित उपरोक्त अधिनियम, जिससे खाद्य–सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रयासों को 'कल्याण' के दायरे से 'अधिकार आधारित' दृष्टिकोण की ओर एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता। इस अधिनियम से जिसमें ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत या देश की कुल आबादी के लगभग दो–तिहाई लोगों के लिए अधिकार–आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस अधिनियम में पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज का सार्वजनिक प्रावधान किया गया था, जिसकी कीमत 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटे अनाज के हिसाब से थी। अन्त्योदय अन्न योजना, परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलना जारी रहा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए थे।

केस अध्ययन

अमेठी जनपद के एक ग्राम में अति पिछड़ी जाति का एक परिवार रहता है। घर के मुखिया 71 वर्षीय राम ने मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ाई कर रखी है। इनकी 65 वर्षीय पत्नी एक अशिक्षित गृहिणी हैं। इनके एक 30 वर्षीय पुत्र लव ने 9वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। इनका घर ऐसी जगह बना है, जहाँ आने–जाने का उचित मार्ग नहीं है। केवल एक कमरा पक्का बना है, जिसके आस–पास कोई खुली जगह नहीं है। इनके पास पशुधन के नाम पर मात्र तीन बकरियाँ हैं। इनके परिवार के पास मात्र 5 बिस्वा कृषि भूमि है, जो आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। परिवार के भरण–पोषण हेतु वह पिछले 20 वर्षों से गुमटी में चाय की दुकान चलाते हैं, जिसमें वह 5 रूपये की चाय एवं 5 रूपये की दर से नमकीन बेचते हैं। उनका बेटा कभी–कभी शादी विवाह में गाड़ी चलाने अर्थात् ड्राइवर का

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.056

काम करता है। राम एवं उनकी पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये मासिक दर से प्रति तीन माह में 3000 हजार रुपये मिलता है। इन्हें किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष 6000 रुपये मिलते हैं। इनका पात्र–गृहस्थी कार्ड बना हुआ है। जिससे उन्हें 20 किलो चावल और 15 किलो गेंहू हर माह मिल जाता है। जिससे परिवार के भोजन हेतु 15 दिन के लिए अनाज का इंतजाम हो जाता है। बाकी दिनों के लिए अनाज बाजार से खरीदना पड़ता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भुखमरी दूर की जा रही है।

3 अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग (2023)

दुनिया भर में 540 मिलियन छोटे किसान हैं और वह कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 30 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन की जिम्मेदारी सम्हाले हुए हैं। छोटे किसान दुनिया भर में 84 प्रतिशत खेतों का प्रबंधन करते हैं। हमारे साझेदार देशों के मामले में, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन फिर भी, उनमें से कई औपचारिक बाजार तक पहुँच नहीं पाते हैं। नतीजतन, छोटे उत्पादकों को इनपुट, क्रेडिट, बाजार और तकनीक तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, आय अधिशेष की कमी उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। एक समाधान जो छोटे किसानों और बाजार के बीच की बाधा को तोड़ता है, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करेगा, उन्हें लचीला बनाएगा और खाद्य सुरक्षा में सुधार करेगा।

उपरोक्त प्रमुख योजनाओं एवं प्रयासों के अतिरिक्त भारत में भुखमरी एवं कुपोषण दूर करने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना, एनीमिया मुक्त अभियान, एकीकृत बाल विकास सेवा एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 123 देशों में से भारत 102वें स्थान पर है। उक्त रैंकिंग में भारत का भुखमरी स्कोर 25.8 स्तर है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–6 (2023–24) के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 29.3 प्रतिशत बच्चों में नाटापन तथा 19 प्रतिशत बच्चे सूखाग्रस्त हैं इसके साथ ही 5 वर्ष से कम आयु के 31.8 प्रतिशत बच्चे अल्प वजन के पाये गये। इस प्रकार भुखमरी एवं कुपोषण की यह स्थितियां भारत में विकास की प्रक्रिया पर प्रश्न–चिन्ह खड़ा कर रही हैं, जिसमें सुधार की प्रबल आवश्यकता है।

भारत जैसे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे चुनौतीपूर्ण एवं नीतिगत समस्याओं में से एक है, जहाँ एक तिहाई से अधिक आबादी गरीब और अत्यधिक कुपोषित है। सभी प्रयासों के बावजूद, एक बड़ी आबादी गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित है। जहां मौजूदा कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा की जटिलता को सुलझा सकते हैं, किन्तु कार्यक्रमों में अलग–अलग दृष्टिकोण, अंतर–विभागीय समन्वय का अभाव उनकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। इसलिए, अंतर–विभागीय समन्वय की दिशा में ठोस एवं निरन्तरता बनाये रखने वाले प्रयास जारी रखने होंगे, क्योंकि मानव व्यवहार में परिवर्तन भौतिक संस्कृति की तुलना में धीमी गति से चलता है।

संदर्भ

1. Banik, Dan. (2007). Democracy And Starvation, Starvation and India's Democracy, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203962886
2. Bourdieu, P. (1979/84), *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. (Translated by Richard Nice), Cambridge: Howard University Press.
3. Chakrabarty, M. (2016). Climate Change and Food Security in India. *ORF Issue Brief*, Vol. 157.
4. GHI (2025). Global Hunger Index. https://www.globalhungerindex.org/india.html
5. I.B.F.E (2024). India's White Revolution, New Delji: India Brand Equity Foundation, https://www.ibef.org/research/case-study/india-s-white-revolution, Accessed on June 06, 2026.
6. Kumar, A. (2018). Challenges in Adopting Modern Farming Practices by Resource Poor Farmers: A Case of Eastern Uttar Pradesh, *The Eastern Anthropologists*, Vol. 71, No. 1-2, Pg. **15-39**.
7. Kumar, A. (2022). Agriculture for Combating Global Starvation. In: Ansari, S.A., Ansari, M.I., Husen, A. (eds) Augmenting Crop Productivity in Stress Environment. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6361-1_20
8. Malinowski, Bronislaw (1936) Culture as a Determinant of Behavior, *The Scientific Monthly*, Vol. 43, No. 5, Pg. **440-449**.
9. Malinowski, Bronislaw (1944/60) A Scientific Theory of Culture, New York: A Galaxy Book, Oxford University Press.
10. Mauss, Marcel (1973) Techniques of the body, *Economy and Society, 2(1),* Pg. ***70–88.***
11. Mauss, Marcel (1966). The Gift, translated by Ian Gunnison with Introduction by E.E. Evans-Pritchard, London: Cohen & West Ltd.
12. Mead, George Herbert (1938/1972) *The Philosophy of the Act.* Chicago: University of Chicago Press.
13. Panda, M. (2024). Evolution of India's Policy Response to Hunger, Nutrition, and Food Security Since Independence. In: Dev, S.M., Ganesh-Kumar, A., Pandey, V.L. (eds) Achieving Zero Hunger in India. India Studies in Business and Economics. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4413-2_2
14. Ritzer, George (2011) Sociological Theories, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.056

15. Sen, Amartya, (1983/2003) Starvation and Famines, in *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford, Oxford Academic, Pg. **39–44**. https://doi.org/10.1093/ 0198284632.003.0004 (accessed 14 Sept. 2025).
16. Stewart, Simon (2013) Why Do We Like What We Like? in: A Sociology of Culture, Taste and Value, London: Palgrave Macmillan Pg. **56-74**.
17. Sumner, W. G. (1907) *Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals*. Boston: Ginn and Company.
18. UNCDF and Atal Innovation Mission, NITI Aayog (20223). Gearing up to Solve Food Security Challenges: Building Agritech Ecosystem for the Global South. New Delhi: UNCDF and Atal Innovation Mission, NITI Aayog https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-06/Final_UNCDF_14_5.pdf
19. WHO (2024). https://www.who.int/campaigns/world-food-safety-day/2024